राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3556 / 2022

साबुती देवी मीणा (कर्मचारी आई.डी.–आरजेएसएम198832001484)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.08.2022
आदेश की दिनांक : 10.10.2022

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री शिवात्मा टांक, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थीया के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थीया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत है। उसे आदेश दिनांक 05.08.2022 के द्वारा राजकीय देवनारायण कन्या छात्रावास, सवाईमाधोपुर में लगाया गया है और (अनुलग्नक–1) कार्यालय आदेश दिनांक 05.08.2022 के द्वारा उसे कार्यमुक्त किया गया है। अपीलार्थीया के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थीया की सेवानिवृत्ति में केवल 8 माह का समय ही शेष है। ऐसे में नए स्थान पर भेजे जाने से अपीलार्थीया को अत्यधिक कठिनाई होगी। अपीलार्थीया का स्थानांतरण आदेश निरस्त किया जाए।

3. हमनें अपीलार्थीया के अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थीया ने अपना स्थानांतरण आदेश प्रस्तुत नहीं किया है, न ही उसे चुनौती दी है। केवलमात्र स्थानांतरण आदेश की पालना में जारी कार्यमुक्ति आदेश से ही चुनौती दी है। कार्यमुक्ति आदेश को विधि–विरूद्ध होना नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वो स्थानांतरण आदेश की पालना में जारी किया गया है।

4. अपील के दौरान अपीलार्थीया के अधिवक्ता का कथन रहा है कि अपीलार्थीया को केवलमात्र 20 किमी. दूर ही पदस्थापित किया गया है। उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है

कि वर्तमान स्थानांतरण से अपीलार्थीया को कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि उसे अत्यधिक दूरी पर नहीं भेजा गया है।

5. आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक–1) को निरस्त किये जाने का आधार हमारे समक्ष नहीं है। अतः अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

6. अतः अपील खारिज किये जाने योग्य होने से एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)